मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 13] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 मार्च—2010 चैत्र 5, शक 1932

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अन्तिम नियम.

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2009

क्र. एफ. 1-21-2004-तेईस-यो.आ.सां.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी, तृतीय श्रेणी (लिपिक तथा अलिपिक वर्गीय) सेवा सदस्यों की भर्ती एवं सेवा शर्तों से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात्:—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ''मध्यप्रदेश योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी, तृतीय श्रेणी (लिपिक तथा अलिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम, 2009 है.

(2) ये नियम ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:—

(क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी मध्यप्रदेश ;

(ख) "समिति" से अभिप्रेत है अनुसूची-चार के कालम (5) में विनिर्दिष्ट विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति;

(ग) "आयुक्त" से अभिप्रेत है आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी, मध्यप्रदेश;

(घ) "परीक्षा" से अभिप्रेत है भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा;

(ङ) "सरकार" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सरकार;

(च) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश के राज्यपाल;

(छ) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5/पच्चीस/4/84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

(ज) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(झ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, कोई जाति, मूल वंश या जनजाति अथवा जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(ञ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(ट) "चयन समिति" से अभिप्रेत है चयन समिति/विभागीय चयन समिति;

(ठ) "राज्य" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य;

(ड) "सेवा" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, तृतीय श्रेणी (लिपिक तथा अलिपिक वर्गीय) सेवा.

3. **विस्तार तथा लागू होना.**—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ये नियम, अनुसूची-एक में यथा उल्लिखित सेवा के प्रत्येक सदस्य को लागू होंगे.

4. **सेवा का गठन.**—सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्:—

(1) वे व्यक्ति जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पद मूलत: या स्थानापन्न रूप से धारण कर रहे हैं;

(2) वे व्यक्ति जो इन नियमों के प्रारंभ होने से पूर्व सेवा में भर्ती किए गए हों, और

(3) वे व्यक्ति जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भरती किए गए हों :

5. **वर्गीकरण, वेतनमान आदि.**—सेवा का वर्गीकरण, उससे संलग्न वेतनमान और सेवा में सम्मिलित किए गए पदों की संख्या, अनुसूची-एक में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगी :

परन्तु सरकार, समय-समय पर सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में, या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगी.

6. **भर्ती का तरीका.**—(1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात्:—

(क) प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा या साक्षात्कार द्वारा या दोनों के द्वारा,

(ख) अनुसूची-चार के कालम (2) में यथादर्शित सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा,

(ग) उन व्यक्तियों के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा, जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को मूलत: स्थानापन्न रूप से धारण करते हों जैसा कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए.

(2) उप नियम (1) के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची-एक में यथाविनिर्दिष्ट पदों की संख्या के, अनुसूची-दो में दर्शाए गए प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी.

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, सेवा में किसी ऐसी विशिष्ट रिक्ति अथवा रिक्तियों को, जिन्हें भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरा जाना अपेक्षित हो, भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनाया जाने वाला भरती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके से भरती किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सरकार के परामर्श से अवधारित की जाएगी.

(4) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो तो, वह सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से, उक्त उप नियम में विनिर्दिष्ट सेवा में भर्ती के उन तरीकों से भिन्न ऐसे अन्य तरीके अपना सकेगा, जैसा इस निमित्त जारी किए गए आदेश द्वारा विहित किए जाएं.

7. **सेवा में नियुक्ति.**—इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी तथा ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों में से किसी एक तरीके से चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं.

8. **सीधी भर्ती के लिये पात्रता की शर्तें.**—प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पात्र होने हेतु अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी अर्थात्:—

(1) **आयु.**—

(क) उसने परीक्षा/चयन के प्रारंभ होने की तारीख की ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को अनुसूची-तीन के कालम (3) की यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो, और उक्त अनुसूची के कालम (4) में विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो;

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का हो तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(ग) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो मध्यप्रदेश सरकार के कर्मचारी हैं या कर्मचारी रह चुके हैं, सामान्य उच्चतर आयु सीमा, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तक तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए शिथिलनीय होगी :—

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी सरकारी सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये;

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा है और दूसरे पद के लिए आवेदन करता है 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत आकस्मिकता निधि से भुगतान पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी;

(तीन) ऐसे अभ्यर्थी के, जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष की सीमा तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण.—(1) पद ''छंटनी किया गया सरकारी सेवक'' से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो इस राज्य की या किन्हीं संघटक इकाइयों की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छह मास की निरन्तर कालावधि तक रहा था और जिसे रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा, आवेदन करने की तारीख से, अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व, स्थापना में कमी किए जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया था.

(चार) ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक है, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण.—(2) पद "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छह मास की कालावधि तक निरन्तर नियोजित रहा था, और जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किए जाने के कारण छटनी की गई थी या जिसे अतिशेष (सरप्लस) घोषित कर दिया गया था :—

(1) ऐसा भूतपूर्व सैनिक, जो सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त किया गया हो.

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दूसरी बार नामांकित किया गया हो और :—

(क) अल्पकालीन वचनबंध पूर्ण हो जाने पर;

(ख) नामांकन संबंधी शर्तें पूर्ण हो जाने पर;
सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो.

(3) मद्रास सिविल इकाई (यूनिट) के भूतपूर्व कार्मिक.

(4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक), जिसमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन्ड अधिकारी भी सम्मिलित हैं; उनकी संविदा पूरी होने पर सेवामुक्त किये गये हों;

(5) ऐसे कर्मचारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छह मास से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के पश्चात् सेवामुक्त किया गया है;

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया हो;

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो कि वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं;

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने घाव हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो.

(घ) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यार्थी के लिए उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(ङ) विधवा, निराश्रित एवं तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(च) उन अभ्यर्थियों के लिए जो "परिवार कल्याण कार्यक्रम" के अधीन ग्रीन कार्ड धारक हैं, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम दो वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(छ) आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन किसी दम्पत्ति के पुरुस्कृत सवर्ण पति/पत्नी के मामले में उच्चतर आयु-सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(ज) विक्रम पुरस्कार धारक अभ्यर्थियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(झ) उन अभ्यार्थियों के संबंध में, जो मध्यप्रदेश राज्य निगमों/मण्डल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(ञ) नगर सेना (होमगार्डस) के स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालन्टरी होमगार्डस) तथा नान कमीशन्ड अधिकारियों के मामले में उनके द्वारा की गई सेवा की कालावधि के लिए अधिकतम सामान्य आयु सीमा 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए शिथिल होगी किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये;

(ट) निराश्रित अभ्यर्थियों के लिये उच्चतर आयु सीमा, राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार शिथिलनीय होगी;

टिप्पणी.—(1):—

ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें उपर्युक्त नियम 8 (1) (ग), (1) और (2) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन चयन के लिए प्रवेश दिया गया हो, आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् चयन के पहले या उसके बाद सेवा से त्याग-पत्र देते हैं, तो नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे. तथापि, यदि आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् उनकी सेवा अथवा पद से छंटनी की जाए तो वे पात्र बने रहेंगे.

टिप्पणी.—(2):—

(1) अन्य किन्हीं भी मामलों में आयु सीमा शिथिल नहीं की जाएगी.

(2) विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन में उपस्थित होने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करनी होगी.

(2) **शैक्षणिक अर्हताएं.**—अभ्यर्थी के पास सेवा के लिए विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हता होनी चाहिए, जैसी कि अनुसूची तीन में दर्शाई गई हैं, परन्तु—

(क) नियुक्ति प्राधिकारी, आपवादिक मामलों में, किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह मान सकेगा, जो यद्यपि इन नियमों में विहित अर्हताओं में से कोई अर्हता न रखता हो, किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं/विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित परीक्षा ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हो, जिससे नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थी को परीक्षा/चयन में उपस्थित होने का पात्र समझे; और

(ख) ऐसे अभ्यर्थियों पर भी, जो अन्यथा अर्ह है, किन्तु जिन्होंने विदेशी विश्वविद्यालयों से उपाधि ली हो, जो ऐसे विश्वविद्यालय हैं, जिन्हें सरकार द्वारा विशिष्ट रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेकानुसार परीक्षा में उपस्थित होने के लिए विचार किया जायेगा.

3. **फीस.**—अभ्यार्थी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित फीस का भुगतान करना होगा.

9. **निरर्हता.**—किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा/चयन में उपस्थित होने की निरर्हता माना जा सकेगा.

(एक) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए विहित की गई आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा.

(दो) कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हों, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, किसी सेवा या पद पर, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परंतु कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, जिसमें 2 या 2 से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा में या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।

10. **अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में विनिश्चय.**—चयन के लिए किसी अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा तथा ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को, जिसे चयन समिति द्वारा प्रवेश प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया हो, परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिये अनुज्ञात नहीं किया जाएगा.

11. **प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती.**—(एक) सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा ऐसे अंतरालों से ली जाएगी, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी, सरकार के परामर्श से समय-समय पर अवधारित करे.

(दो) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा, ऐसे आदेशों के अनुसार संचालित की जाएगी जो कि सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जाएं.

(2) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21, सन् 1994) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार तथा राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार सीधी भर्ती के प्रक्रम पर, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगे.

(3) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, उन अभ्यर्थियों को, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, नियुक्ति पर विचार उसकी क्रम में किया जाएगा, जिसमें उनके नाम, नियम 12 (1) में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो.

(4) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगे.

(5) सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार नि:शक्त अभ्यर्थियों के लिये पद आरक्षित रखे जाएंगे.

(6) सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिये पद आरक्षित रखे जाएंगे.

(7) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के उन अभ्यर्थियों को जिन्हें प्रशासन में दक्षता: बनाये रखने का सम्यक ध्यान रखते हुए समिति द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त समझा गया हो, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा.

(8) ऐसे मामलों में, जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद के लिए कतिपय कालावधि का अनुभव एक आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और नियुक्ति प्राधिकारी की राय में यह पाया जाए कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है, वहां सरकार से परामर्श के पश्चात् नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के संबंध में अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा.

(9) यदि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित सभी रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों तो शेष रिक्तियां, सरकार की पूर्व अनुज्ञा के बिना अन्य अभ्यर्थियों से नहीं भरी जाएगी, और रिक्तियां अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित/जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए अगले चयन के लिए आरक्षित रखी जाएंगी.

12. **चयन समिति द्वारा सिफारिश किए गए अभ्यर्थियों की सूची.**—(1) चयन समिति, उन अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम में एक सूची, जो ऐसे स्तर से अर्हित हों, जैसा कि चयन समिति अवधारित करे, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों की पृथक सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं हैं, और प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का सम्यक ध्यान रखते हुए, चयन समिति द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किया गया हो, तैयार करेगी और नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगी. यह सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भी प्रकाशित की जाएगी.

(2) इन नियमों तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिसमें कि उनके नाम सूची में आये हैं.

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किए जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होगा, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाता हो कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है.

(4) चयन सूची, जारी किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के तक लिये विधिमान्य होगी.

13. **परिवीक्षा.**—सेवा में सीधी भर्ती किए गये प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा.

14. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.**—(1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति के लिए प्रारंभिक चयन करने हेतु अनुसूची-चार में यथा उल्लिखित सदस्य से मिलकर एक समिति गठित की जायेगी.

(2) अनुसूची-चार के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट सदस्यों की उसके कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट पदों पर पदोन्नति लिए अभ्यर्थी की पात्रता, चयन प्रक्रिया तथा पदोन्नति द्वारा नियुक्ति, मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 में यथाविनिर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार होगी.

(3) **नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन.**—प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी, उसके द्वारा जारी किये जाने वाले पदोन्नति आदेश पर इस आशय के प्रमाण-पत्र का पृष्ठांकन करेगा कि उसने मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) और मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों और राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए जारी किये गये अनुदेशों का पालन किया है और उसे उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है.

(4) विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक ऐसे अंतराल से होगी, जैसा नियुक्ति प्राधिकारी निर्देश दें, किन्तु जो साधारणतः एक वर्ष से अधिक नहीं होगा.

15. **पदोन्नति हेतु पात्रता की शर्तें.**—(1) उप नियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए समिति उन सभी व्यक्तियों के मामलों में विचार करेंगी जिन्होंने उस वर्ष की पहली जनवरी को उस पद पर, जिससे कि पदोन्नति की जानी है या सरकार द्वारा उनके समतुल्य घोषित किए गये किसी अन्य पद या पदों पर उतने वर्षों की सेवा (चाहे स्थानापन्न रूप में या मूल रूप में) पूर्ण कर ली थी, जैसा कि अनुसूची-चार के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है और जो उप-नियम (2) के उपबंध के अनुसार विचारण क्षेत्र आते हो.

(2) पदोन्नति के लिए विचारण क्षेत्र हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंध लागू होंगे.

(3) कर्मचारी के प्रथम पदोन्नति तब तक नहीं दी जाएगी, जब तक कि वह न्यूनतम पांच वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं कर लेता है. इससे अभिप्रेत है कि पांच वर्ष की सेवा-पदोन्नति के लिए पात्रता की शर्त होगी.

स्पष्टीकरण.—पदोन्नति के लिये पात्रता हेतु संगणना की रीति—सुसंगत वर्ष की, जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति आहूत की जाती है, एक जनवरी को अर्हकारी सेवा की कालवधि के गणना, उस केलैंडर वर्ष से की जायेगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया है और संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से गणना नहीं की जायेगी।

(4) चतुर्थ श्रेणी सेवक से सहायक ग्रेड-3 के पद पर पदोन्नति के लिए ऐसे सेवक को हायर सेकेण्ड्री परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और पदोन्नति पर उसे एक वर्ष के भीतर मान्यता प्राप्त बोर्ड से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा पास करना होगी तथा कम्प्यूटर संचालन का ज्ञान प्राप्त करना होगा. परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर वह मूल संवर्ग पर या जिस पद से पदोन्नत हुआ था, पदावनति का भागी होगा.

16. **उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना.**—(1) समिति ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो नियम 15 में विहित शर्तों को पूरा करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिए उपयुक्त ठहराया गया हो. यह सूची, चयन सूची तैयार करने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति/पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी. उक्त चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या के 25 प्रतिशत व्यक्तियों की एक आरक्षित सूची, पूर्वोक्त कालावधि के दौरान होने वाली अनवेक्षित रिक्तयों को भरने के लिए भी प्रस्तावित की जाएगी.

(2) चयन सूची तैयार करने के लिए मानदण्ड, मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों के अनुसार ''ज्येष्ठता सह उपयुक्तता'' (सीनियरिटी सब्जेक्ट टू फिटनेश) पर आधारित होगा.

(3) प्रत्येक चयन सूची के तैयार करते समय, चयन सूची में सम्मिलित किये गये व्यक्तियों के नाम, अनुसूची ''चार'' के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट सेवा या पद में वरिष्ठता के क्रम में रखे जाएंगे.

स्पष्टीकरण.—ऐसा व्यक्ति का, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया हो, किन्तु जो सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत न किया गया हो, केवल उसके पूर्वोत्तर चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों के ऊपर जिन पर पश्चात्वर्ती चयन में विचार किया गया हो, ज्येष्ठता का कोई दावा नहीं होगा.

(4) इस प्रकार तैयार की गई चयन सूची का प्रत्येक वर्ष पुनर्विलोकन किया जायेगा.

(5) यदि चयन, पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण की प्रक्रिया में यह प्रस्तावित हो कि सेवा के किसी सदस्य को अधिक्रमित किया जाए, तो समिति, प्रस्तावित अधिक्रमण के लिए अपने कारणों को लेखबद्ध करेगी.

17. **चयन सूची.**—(1) नियुक्ति प्राधिकारी, समिति द्वारा तैयार की गई सूची पर समिति से प्राप्त अन्य दस्तावेजों के साथ, विचार करेगा और जब तक वह कोई परिवर्तन आवश्यक नहीं समझें, सूची को अनुमोदित करेगी.

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी, समिति से प्राप्त सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे तो वह प्रस्तावित परिवर्तन की सूचना समिति को देगा तथा समिति की टिप्पणियों यदि कोई हों पर विचार करने के पश्चात्, सूची को ऐसे उपांतरणों के साथ, यदि कोई हों, जो उसकी राय में न्यायोचित तथा उचित हों, अंतिम रूप से अनुमोदित कर सकेगा.

(3) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित की गई सूची, अनुसूची-चार के कॉलम (2) में दर्शाए गए पदों से, उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में वर्णित पदों पर सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए चयन सूची होगी.

(4) चयन सूची, सामान्यतया एक वर्ष के लिये तब तक प्रवृत्त रहेगी, जब तक नियम 16 के उपनियम (5) के अनुसार उसका पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण नहीं किया जाता, किन्तु उसकी विधिमान्यता उसके तैयार किए जाने की तारीख से 18 मास की कुल कालावधि से परे नहीं बढ़ाई जाएगी :

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण में या कर्तव्यों के पालन में गंभीर चूक होने की दशा में, नियुक्ति प्राधिकारी की प्रेरणा पर चयन सूची का विशेष पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और समिति, यदि उचित समझे तो, ऐसे व्यक्ति का नाम चयन सूची में से हटा सकेगी.

18. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.**—चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की सेवा के संवर्ग के पदों पर नियुक्ति उसी क्रम से की जायेगी, जिस क्रम में ऐसे कर्मचारियों के नाम चयन सूची में आए हों.

19. **परीक्षण.**—सेवा में पदोन्नत प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्ष की कालावधि के लिए परिक्षण पर नियुक्त किया जायेगा.

20. **निर्वचन.**—यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्‌भूत होता है तो उसे सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा.

21. **शिथिलीकरण.**—इन नियमों में की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिसको ये नियम लागू होते हैं, राज्यपाल की ऐसी रीति में, जो उसे न्यायसंगत तथा साम्यपूर्ण प्रतीत होती हो कार्यवाही करने की शक्ति को सीमित या कम करती है :

परन्तु कोई मामला, ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा, जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो.

22. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई भी बात राज्य सरकार द्वारा, इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए उपबंधित किए जाने वाले आरक्षण, शिथिलीकरण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी.

23. **निरसन.**—इन नियमों के तत्स्थानी और इन निमयों के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त हो, ऐसे समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में, एतद्‌द्वारा निरस्त किए जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किए गए किसी भी आदेश या की गई किसी कार्यवाही के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया है या की गई है.

अनुसूची-एक

(नियम 5 देखिए)

सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान और सेवा में सम्मिलित पद की संख्या

अनु-क्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों का नाम	पदों की कुल संख्या			वर्गीकरण	वेतनमान	टिप्पणी
		स्थाई	अस्थाई	योग			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	अधीक्षक	3	1	4	तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय)	5500-175-9000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	आशुलिपिक (शीघ्र लेखक)	04	31	35	तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय)	4500-125-7000	
3	वरिष्ठ निज सहायक	-	1	1	तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय)	6500-200-10500	
4	निज सहायक	-	1	1	तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय)	5500-175-9000	
5	स्टेनो टायपिस्ट	6	13	19	तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय)	3050-75-3950-80-4590+125 विशेष वेतन.	
6	सहायक ग्रेड-1	7	2	9	तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय)	4500-125-7000	
7	सहायक ग्रेड-2/ कनिष्ठ लेखा परीक्षक.	56	08	64	तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय)	4000-100-6000	
8	सहायक ग्रेड-3	112	30	142	तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय)	3050-75-3950-80-4590.	
9	कैशियर/लेखापाल (सुपरन्यूमरी पद).	-	1	1	तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय)	4000-100-6000	
10	ग्रंथपाल	1	-	1	तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय)	5000-150-8000	4500-125-7000 भविष्य में की जाने वाली नियुक्ति के लिये.
11	वरिष्ठ कलाकार	1	-	1	तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय)	5000-150-8000	5500-175-9000 दिनांक 1-4-06 से लागू.
12	कलाकार	1	-	1	तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय)	5000-150-8000	4000-100-6000 भविष्य में की जाने वाली नियुक्ति के लिये.
13	वेरीफायर/की पंच आपरेटर	3	-	3	तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय)	3500-80-4700-100-5200.	
14	फोटोग्राफर	1	-	1	तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय)	4000-100-6000	
15	वाहन चालक	1	38	39	तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय)	3050-75-3950-80-4590.	

मध्यप्रदेश योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी

वर्ग-III (लिपिकीय/अलिपिकीय) सेवा भरती नियम, 2009

अनुसूची-दो

(नियम 6 देखिए)

भरती का तरीका

अनु-क्रमांक	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	पदों की कुल संख्या			भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत			टिप्पणी
		स्थाई	अस्थाई	कुल	सीधी भर्ती द्वारा नियम 6(1)(ए) देखिए (प्रतियोगी परीक्षा द्वारा)	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा नियम 6(1)(बी) देखिए	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के अस्थाई स्थानांतरण द्वारा नियम 6 (सी) देखिए	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	अधीक्षक	3	1	4	-	100 प्रतिशत	-	
2	आशुलिपिक (शीघ्र लेखक)	4	31	35	75	25	-	
3	वरिष्ठ निज सहायक	-	1	1	-	100	-	
4	निज सहायक	-	1	1	-	100	-	
5	स्टेनो टायपिस्ट	6	13	19	100	-	-	
6	सहायक ग्रेड-1	7	2	9	-	100	-	
7	सहायक ग्रेड-2/ कनिष्ठ लेखा परीक्षक.	56	08	64	-	100	-	कनिष्ठ लेखा परीक्षक का पद लेखापरीक्षा उत्तीर्ण सहायक ग्रेड-3 से वरीयता अनुसार भरा जावेगा.
8	सहायक ग्रेड-3	112	30	142	100	-	-	सहायक ग्रेड-3 के एक ही समय में रिक्त पदों के 25 प्रतिशत पद उन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से सीधी भरती द्वारा भरे जावेंगे जो पदों के लिये वांछित अर्हता रखते हों.
9	केशियर/लेखापाल (सुपरन्यूमरी पद)	-	1	1	-	-	-	-
10	ग्रंथपाल	1	-	1	100	-	-	-
11	वरिष्ठ कलाकार	1	-	1	-	100	-	-
12	कलाकार	1	-	1	100	-	-	-
13	वेरीफायर/ की पंच आपरेटर.	3	-	3	100	-	-	-
14	फोटोग्राफर	1	-	1	100	-	-	-
15	वाहन चालक	1	38	39	100	-	-	-

अनुसूची-तीन

(नियम 8 देखिए)

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की आयु तथा अर्हताएं

अनु-क्र.	सेवा/पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हताएं	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	आशुलिपिक (शीघ्रलेखक).	18 वर्ष	35 वर्ष	10+2 प्रणाली से कम से कम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी प्रणाली के अधीन हायर सेकेण्ड्री परीक्षा उत्तीर्ण तथा मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा बोर्ड से या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड या संस्था से हिन्दी में शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण-पत्र एवं कम्प्यूटर संचालन का ज्ञान.	
2	स्टेनो टायपिस्ट	18 वर्ष	35 वर्ष	10+2 प्रणाली से कम से कम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी प्रणाली अधीन हायर सेकेण्ड्री परीक्षा उत्तीर्ण तथा मान्यता प्राप्त बोर्ड से हिन्दी मुद्रलेखन तथा शीघ्रलेखन की क्षमता कम से कम 60 शब्द प्रति मिनिट होना चाहिए तथा कम्प्यूटर संचालन का ज्ञान.	
3	ग्रंथपाल	18 वर्ष	35 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक एवं कम्प्यूटर संचालन का ज्ञान.	
4	सहायक ग्रेड-3	18 वर्ष	35 वर्ष	10+2 प्रणाली से कम से कम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी प्रणाली अधीन हायर सेकेण्ड्री परीक्षा उत्तीर्ण तथा मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा बोर्ड से या संस्था से या किसी भी अन्य मानक से जो राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाये हिन्दी में मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण-पत्र एवं कम्प्यूटर संचालन का ज्ञान.	
5	कलाकार	18 वर्ष	35 वर्ष	10+2 प्रणाली से कम से कम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी प्रणाली के अधीन हायर सेकेण्ड्री परीक्षा उत्तीर्ण साथ ही ड्राइंग का इंटरमीडिएट प्रमाण-पत्र या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से उसके समकक्ष प्रमाण-पत्र तथा सांख्यिकी डाटा (आधार सामग्री) के लेखचित्रीय (ग्राफिकल) मानचित्र (कार्टो ग्राफिकल) प्रस्तुतीकरण का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव.	
6	फोटोग्राफर	18 वर्ष	35 वर्ष	10+2 प्रणाली से कम से कम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा किसी मान्यता प्राप्त मंडल से पुरानी प्रणाली के अधीन हायर सेकेण्ड्री परीक्षा उत्तीर्ण तथा स्टूडियो तथा क्षेत्रीय कार्य (फील्ड वर्क) का तथा विभिन्न प्रकार के केमरों से काम करने का 3 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव तथा छपाई (प्रिटिंग) धुलाई (डेवलापिंग) तथा इनलार्जिंग का पर्याप्त ज्ञान.	
7	वेरीफायर/ की पंच ऑपरेटर.	18 वर्ष	35 वर्ष	10+2 प्रणाली से कम से कम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी प्रणाली अधीन हायर सेकेण्ड्री परीक्षा उत्तीर्ण तथा कीपंच/वेरीफाइंग मशीन पर कार्य करने का ज्ञान.	
8	वाहन चालक	18 वर्ष	35 वर्ष	कम से कम मिडिल स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण तथा सक्षम प्राधिकारी से वाहन चालन का लायसेन्स.	

अनुसूची-चार
(नियम 14 देखिए)

अनु-क्र.	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जायेगी	पदोन्नति हेतु न्यूनतम कालावधि	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य के नाम [नियम 2(बी) देखिए]	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	अराजपत्रित तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय :				
1	सहायक ग्रेड-एक	अधीक्षक	5 वर्ष	(1) संयुक्त संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी म.प्र.—**अध्यक्ष.** (2) उप संचालक (प्रशा.), आर्थिक एवं सांख्यिकी म.प्र.—**सदस्य.** (3) उप संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी म.प्र.—**सदस्य.** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का कोई नाम निर्दिष्ट समकक्ष अधिकारी—**सदस्य.** (5) अल्पसंख्यक वर्ग का कोई नाम निर्दिष्ट समकक्ष अधिकारी—**सदस्य.**	
2	सहायक ग्रेड-दो/ कनिष्ठ लेखा परीक्षक.	सहायक ग्रेड-एक	5 वर्ष	—तदैव—	
3	सहायक ग्रेड-तीन	1. सहायक ग्रेड-दो 2. कनिष्ठ लेखा परीक्षक.	5 वर्ष -''-	—तदैव—	कनिष्ट लेखा परीक्षक का पद सहायक ग्रेड-तीन से ज्येष्ठता अनुसार भरा जावेगा जो लेखा परीक्षा उत्तीर्ण हो.
4	कलाकार	वरिष्ठ कलाकार	5 वर्ष	—तदैव—	
5	स्टेनो टायपिस्ट	आशुलिपिक (शीघ्रलेखक).	5 वर्ष	—तदैव—	
6	आशुलिपिक (शीघ्रलेखक)	निज सहायक	5 वर्ष	—तदैव—	
7	निज सहायक	वरिष्ठ निज सहायक	5 वर्ष	—तदैव—	
	चतुर्थ श्रेणी सेवा से—				
8	भृत्य	सहायक ग्रेड तीन	5 वर्ष	—तदैव—	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. पी. कबीरपंथी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2009

क्र. एफ-1-21-2004-तेईस-यो.आ.सां.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के अधिसूचना क्र. एफ-1-21-2004-तेईस-आसां., दिनांक 31 दिसम्बर 2009 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. पी. कबीरपंथी, उपसचिव.

Bhopal, the 31st December 2009

No. F-1-21-2004-XXIII/PES.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby makes the following rules relating to the recruitment and service conditions of the members of the Madhya Pradesh Planning, Economics and Statistics Class III (Ministerial and Non- Ministerial) Services, namely :—

RULES

1. **Short title and Commencement .—** (1) These rules may be called The "Madhya Pradesh Planning, Economics and Statistics Class III (Ministerial and Non- Ministerial) Service Recruitment Rules, 2009"

(2) These rules shall come into force with effect from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. **Definitions.—** In these rules unless the context otherwise requires,—

(a) "Appointing Authority" in respect of the services, means the Director Economics and Statistics, Madhya Pradesh;

(b) "Committee" means Departmental Promotion Committee/Screening Committee specified in column (5) of Schedule IV;

(c) "Commissioner" means the Director, Economics and Statistics, Madhya Pradesh.

(d) "Examination" means the competitive examination for recruitment;

(e) "Government" means the Government of Madhya Pradesh.

(f) "Governor" means the Governor of Madhya Pradesh;

(g) "Other Backward Classes" means the other backward classes of citizens as specified by the State Government *vide* Notification No. F8-5/XXV/4/84, dated 26th December 1984 as amended from time to time;

(h) "Schedule" means the Schedule appended to these rules;

(i) "Scheduled Caste" means any caste, race or tribe or part of or group within a caste, race or tribe specified as a scheduled caste with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 341 of the Constitution of India;

(j) "Scheduled Tribe" means any tribe or tribal community or part of or group within a tribe or tribal community specified as scheduled tribe with respect to the state of Madhya Pradesh under Article 342 of the Constitution of India;

(k) "Selection Committee" means the Selection Committee /Departmental Selection Committee;

(l) "State" means the State of Madhya Pradesh;

(m) "Service" means the Madhya Pradesh Planning, Economics & Statistics Class III {Ministerial and Non Ministerial} Service.

3. **Scope and Application .—**Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of service as mentioned in Schedule-1.

4. **Constitution of Service.**—The Service shall consist of the following persons; namely:—

(1) Persons, who at the time of commencement of these rules are holding substantively or in officiating capacity the posts specified in Schedule-I;

(2) Persons recruited to the service before the commencement of these rules; and

(3) Persons recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification, Scale of Pay etc.**— The classification of the service, the scale of pay attached there to and the number of posts included in the service shall be in accordance with the provisions contained in Schedule I :

Provided that Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts included in the service, either on a permanent or temporary basis.

6. **Method of Recruitment**.—(1) Recruitment to the service, after the commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely:—

(a) By direct recruitment through competitive examination or by interview or by both,

(b) By promotion of members of the service as shown in column (2) of Schedule IV,

(c) By transfer or deputation of persons, who hold a substantive or officiating capacity in such posts in such services, as specified in this behalf by the state Government.

(2) The number of persons, recruited under Clause (a), (b) and (c) of sub-rule (1) shall not, at any time exceed the percentage shown in Schedule II of the number of posts as specified in Schedule I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of the recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service, as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined on each occasion by the appointing authority in consultation with the Government.

(4) Not with standing anything contained in sub-rule (1) if in the opinion of the appointing authority the exigencies of the service so require, may, with prior concurrence of the General Administration Department adopt such method of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

7. **Appointment in the Service**.— All appointments to the service after the commencement of these rules shall be made by the appointing authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. **Conditions of eligibility for direct Recruitment** .— In order to be eligible for competitive examination a candidate must satisfy the following conditions, namely :—

(1) **Age** .—

(a) He/She must have attained the age as specified in column (3) of Schedule III and has not attained the age as specified in column (4) of the said Schedule on the first day of January, next following the date of commencement of the selection / examination.

(b) The upper age limit shall be relaxable up to maximum of 5 years if a candidate belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

(c) The normal upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates, who are or have been employees of the Madhya Pradesh Government to the extent and subject to the conditions specified below:—

(i) A candidate who is permanent Government Servant should not be more than 38 years of age.

(ii) A candidate holding a post temporarily and applying for another post should not be of more than 38 years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees, work charged employees and employees working in the project Implementation Committee.

(iii) A candidate who is a retrenched Government servant shall be allowed to deduct from his age, the period of all temporary services previously rendered by him up to maximum limit of 7 years even if it represents more than one spell: Provided that the resultant age does not exceed the normal upper age limit by more than three years.

Explanation :- (1) The term "Retrenched Government Servant" denotes a person, who was in temporary Government service of this State or of any of the constituent units for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or application made otherwise for employment in Government service.

(iv) A candidate who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all defence service previously rendered by him : Provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

(2) The term "Ex-serviceman" denotes a person, who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the Economy Unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or application made otherwise for employment in Government service :-

(1) Ex-serviceman released under mustering out concessions.

(2) Ex-serviceman enrolled for the second time and discharged on -

(a) Completion of short term engagement;

(b) Full filling the conditions of enrollment;

(3) Ex-personnel of Madras Civil Unit.

(4) Officers (Military and Civil) discharged on completion of their contract including short service regular commissioned officers.

(5) Officers discharged on after working for more than six months continuously against leave vacancies.

(6) Ex-serviceman invalidated out of service.

(7) Ex-serviceman discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers.

(8) Ex-serviceman who are medically boarded out on account of gun shot, wounds etc.

(d) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of ten years to a woman candidate in accordance with the provision of rule 4 of the Madhya Pradesh Civil Services (Special Provision for Appointment of women) Rules, 1997;

(e) The general upper age limit shall be relaxable upto 5 years in respect of the widow, destitute and divorced women candidates;

(f) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 2 years for those candidates who are holding "Green card" under the Family Welfare Programme.

(g) The upper age limit shall be relaxable up to 5 years in respect of awarded superior caste partner of a couple under the inter-caste marriage incentive programe of the Tribal, Scheduled Castes and Backward Class Welfare Department.

(h) The upper age limit shall be relaxable upto 5 years in respect of the Vikram Award holder candidates;

(i) The upper age limit shall be relaxable up to 38 years of age in respect of candidates who are employees of Madhya Pradesh State Corporations/Boards;

(j) The general upper age limit shall be relaxable for Voluntary home Guards and Non-commissioned officers for the period of service rendered by them subject to the limit of 8 years but in no case their age should exceed 38 years.

(k) The upper age limit shall be relaxable to the destitute candidates as per the instructions issued by the State Government from time to time.

Note.— (1)

Candidates, who are admitted to the selection under the age concessions mentioned in rule 8 (1) (c) (i) & (ii) above will not be eligible for appointment, if after submitting the application, they resign from service either before or after selection. They will however, continue to be eligible, if they are retrenched from the service or post after submitting the application.

(2)

(1) In no other cases, the age limit shall be relaxed

(2) Departmental candidates must obtain previous permission of the appointing authority to appear for the examination/selection.

(2) **Educational Qualifications.**—The candidate must possess the educational qualifications prescribed for the service as shown in Schedule III, Provided that –

(a) In exceptional cases, the appointing authority may treat as qualified any candidate, who though not possessing any of the qualification prescribed in these rules, but has passed examination conducted by other institutions / Universities by such a standard, for which the appointing authority considers the candidate eligible to appear in the examination/ selection; and

(b) Candidates, who are otherwise qualified but have taken degree from foreign Universities being Universities not specifically recognized by the Government, may also be considered for appearing in the examination at the discretion of the appointing authority.

(3) Fees.—The candidate must pay the fees prescribed by the appointing authority.

9. **Disqualification:-** Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his/her candidature by any means, may be held disqualify by the appointing authority for appearing in the examination/ selection.

(i) Any candidate who has performed his Marriage before the age limit prescribed for the same will not be entitled for recruitment.

(ii) Any candidate who is having more than two living children, out of them if one child is born on 26 January 2001 or after, will not be entitled for recruitment:

Provided that no candidate shall be disqualified for appointment to a service or post, who has already one living child and next delivery takes place on or after the 26th January 2001, in which two or more than two children are born.

10. **Decision about the eligibility of candidates.**—The decision of the appointing authority as to the eligibility or otherwise of a candidate for selection shall be final and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the selection committee shall not be allowed to appear in the examination/interview.

11. **Direct recruitment by Competitive Examination .**—(1) (i) The Competitive examination for recruitment to the service shall be held at such intervals, as the appointing authority may from time to time determine in consultation with the Government.

(ii) The examination shall be conducted by the appointing authority in accordance with such orders issued by the Government from time to time.

(2) There shall be reserved posts for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other backward Classes at the stage of the direct recruitment in accordance with the provisions contained in the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon ke liye Arakshan) Adhiniyam,1994 (No.21 of 1994) and as per orders issued by the State Government from time to time.

(3) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward classes shall be considered for appointment in the order, in which their names appear in the list referred to in rule 12(1) irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(4) There shall be reserved posts for women candidates, in accordance with the provisions of Madhya Pradesh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997.

(5) There shall be reserved posts for disabled candidates in accordance with the direction of the General Administration Department .

(6) There shall be reserved posts for the ex-defense service men in accordance with the direction of General Administration Department.

(7) Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes considered by the Committee to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, as the case may be.

(8) In such cases, where experience of some period has been prescribed as an essential condition for the post to be filled in by direct recruitment and it is found in the opinion of the appointing authority that sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes may not be available, the appointing authority may relax such condition of experience to the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes after consultation with the State Government.

(9) If a sufficient number of candidate belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are not available for filling all the vacancies reserved for them, the remaining vacancies shall not be filled from other candidates without prior permission of Government and vacancies shall be reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the nest selection.

12. List of Candidates recommended by the selection Committee.—(1) The Selection Committee shall prepare and forward the list to the appointing authority arranged in order of merit of the candidates who have qualified by such standards as determined by the selection Committee and separate list for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes who though not qualified by that standard and are declared by the Selection Committee to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency in administration. The list shall also be published for general information.

(2) Subject to the provisions of these rules and of the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961 candidates shall be considered for appointment to the available, vacancies from the list in the order in which their names appear in the list .

(3) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the appointing authority is satisfied after such inquiry, as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.

(4) The selection list shall be valid for a period of one year from the date of issue.

13. **Probation.**— Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

14. **Appointment by promotion .**—(1) There shall be constituted a Committee consisting of the members mentioned in schedule-IV for making a preliminary selection for promotion of eligible candidates.

(2) For the promotion of the members of service specified in column (2) of schedule (IV) to the posts as specified in column (3) there of the eligibility of candidate, selection process and appointment by promotion shall be in accordance with the provisions as specified in Madhya Pradesh Public Services (Promotion) Rules, 2002.

(3) Certification by the Appointing Authority.— Every appointing authority shall endorse on the promotion order to be used by him. A certificate to the effect that he has complied with the provisions of the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and the Madhya Pradesh Public Services (Promotion) Rules, 2002 and the instructions issued in the light of the provisions of the said Act and Rules by the State Government and that he has full cognizance of the provisions of sub-section (1) of Section 6 of the said Act.

(4) The departmental promotion committee shall meet at such intervals as the appointing authority direct but ordinarily not exceeding one year.

15. **Condition for Eligibility for Promotion.**—(1) Subject to the provision of sub-rule (2) the committee shall consider the cases of all persons who on the Ist day of January of that year had completed such number of years of service (whether officiating of substantive) on the post from which promotion is to be made or any other post or posts declared equivalent by the Government as specified in Column (3) of Schedule IV and are with the Zone of consideration in accordance with the provisions of sub-rule (2).

(2) For the Zone of consideration for promotion, the provisions of Madhya Pradesh Public Services (Promotion) Rules 2002 shall apply.

(3) The employee will not get the first promotion until he has completed the minimum five years of service. It means the five years of service shall be the condition for eligibility for promotion.

Explanation.— Manner of computation for eligibility period of qualifying service on Ist January of the relevant year, in which Departmental Promotion Committee is convened shall be counted from the calendar year in which the Public servant has joined the feeder cadre/part of the service/pay scale of the post and not from the date of joining of the cadre/part of service/pay scale of the post.

(4) For promotion to the post of Assistant Grade III from Class IV servant peon should be Higher Secondary pass from recognized Board and on promotion he shall have to pass Hindi Typing Examination from the recognized Board within one year and knowledge of computer operation failing which shall be liable to be reverted to his substantive cadre or post from which he was promoted.

16. **Preparation of List of Suitable Candidate.**— 1. The committee shall prepare a list of such persons who satisfy the conditions prescribed in Rule 15 and are held by the committee to be suitable for promotion to the service. The list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement, promotion during the course of one year from the date of preparation of the select list. A reserve list consisting of 25% of the number of persons included in the said select list shall also be proposed to meet the unforeseen vacancies, occurring during the aforesaid period.

2. The criteria for preparation of select list shall be based on seniority subject to fitness as per provisions of the Madhya Pradesh Public Services (Promotion) R·.les, 2002

3. The names of persons included in the select list shall be arranged in order of seniority in the service or posts as specified in column (2) of Schedule IV at the time of preparation of each select list.

Explanation.— A person; whose name is included in the select list but who is not promoted during the validity of the list, shall have no claim to seniority over those persons considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

4. The select list so prepared shall be reviewed every year.

5. If in the process of selection, review or revision it is proposed to supersede any member of the service, the committee shall record its reasons for the proposed suppression.

17. **Select List.**— 1. The appointing authority shall consider the list prepared by the committee alongwith other documents received from the committee and unless it considers any change necessary, approve the list.

2. If the appointing authority considers it necessary to make any change in the list received from the committee, he shall inform the committee at the change proposed and after taking into account the comments, if any, of the committee, may approve the list finally with such modification, if any, as may in the opinion be just and proper.

3. The list as finally approved by the appointing authority shall form the Select List from promotion of the members of the service from the posts shown in Column (2) of Schedule IV to the post mentioned in Column (3) of the Said schedule.

4. The select list shall ordinarily be in force for a period of one year until it is reviewed or revised in accordance with sub-rule (5) of Rule 16 but its validity will not be extended beyond a total period of 18 months from the date of its preparation;

Provided that in the event of a grave laps in the conduct or performance of the duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be at instance of the appointing authority and the committee may if fit deem fit, remove the name of such persons, from the select list.

18. **Appointment to the service from the Select List .**— Appointment of the persons included in the select list to the posts borne on the cadre of the service shall follow in which the names of such employees appear in the select list.

19. **Trail.**— Every person promoted to the service shall be appointed on trail for a period of two years.

20. **Interpretation.**— If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to Government, whose decision thereon shall be final.

21. **Relaxation .**— Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the powers of the Governor to deal with the case of any person, to whom these rules apply in such manner as may appear to it to be just and equitable.

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favourable to him than that provided in these rules.

22. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation and other conditions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the orders issued by the State Government from time to time, in this regard.

23. **Repeal.**— All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matter covered by these rules:

Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

Schedule –I
(See Rule -5)

S.No.	Name of the post included in the service	Total Number of Posts			Classification	Scale of Pay	Remark
		Permanent	Temporary	Total			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Superintendent	03	01	04	Class III (Ministerial)	5500-175-9000	
2	Stenographer	04	31	35	Class III (Ministerial)	4500-125-7000/-	
3	Senior Personal Assistant	-	01	01	Class III (Ministerial)	6500-200-10500/-	
4	Personal Assistant	-	01	01	Class III (Ministerial)	5500-175-9000/-	
5	Steno Typist	6	13	19	Class III (Ministerial)	3050-75-3950-80-4590/- +125/- (Special Pay)	
6	Assistant Grade I	07	02	09	Class III (Ministerial)	4500-125-7000/-	
7	Assistant Grade II / Junior Auditor	56	08	64	Class III (Ministerial)	4000-100-6000/- -do-	
8	Assistant Grade III	112	30	142	Class III (Ministerial)	3050-75-3950-80-4590/-	
9	Cashier/Accountant (Super Newmary)	-	01	01	Class III (Ministerial)	4000-100-6000/-	
10	Librarian	01	-	01	Class III (Ministerial)	5000-150-8000/-	4500-125-7000/- Applicable from 1-4-06
11	Senior Artist	01	-	01	Class III (Non Ministerial)	5000-150-8000/-	5500-175-9000/- Applicable from 1-4-06
12	Artist	01	-	01	Class III (Non Ministerial)	5000-150-8000/-	4000-100-6000/-For further appointments
13	Verifier/ Key Punch Operator	03	-	03	Class III (Non Ministerial)	3500-80-4700-100-5200/-	
14	Photographer	01	-	01	Class III (Non Ministerial)	4000-100-6000/-	
15	Driver	01	38	39	Class III (Non Ministerial)	3050-75-3950-80-4590/-	

Schedule –II
(See Rule 6)

S. No	Name Of Post Included in the Service	Total No. of Post			Percentage of posts to be filled			Remarks
		Perm-anent	Temp-orary	Total	By direct recruitment see rule 6(1)(a)	By Promotion of substantive members of the service vide Rules 6(b)	By transfer of persons from other services vide Rule 6(c)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Economics and Statistics Department								
	Name of Service/Post							
1	Superintendent	3	1	04	-	100%	-	-
2	Stenographer	4	31	35	75%	25%	-	-
3	Senior Personal Assistant	-	01	01	-	100%	-	-
4	Personal Assistant	-	01	01	-	100%	-	-
5	Steno Typist	6	13	19	100%	-	-	-
6	Assistant Grade I	7	-	07	-	100%	-	-
7	Assistant Grade II / Junior Auditor	56	08	64	-	100%	-	The post of junior auditor will be filled by Assistant . Grade III as per seniority who have passed the Account examination
8	Assistant Grade III	112	30	142	100% *	-	-	*25% by direct recruitment at a time against vacant post of Assistant Grade III will be filled by IV class employees provided they are qualified for the post.)
9	Cashier / Accountant (Super Newmary)	-	01	01	-	-	-	-
10	Librarian	1	-	01	100%	-	-	-
11	Senior Artist	1	-	01	-	100%	-	-
12	Artist	1	-	01	100%	-	-	-
13	Verifier/ Key Punch Operator	3	-	3	100%	-	-	-
14	Photographer	1	-	01	100%	-	-	-
15	Driver	1	38	39	100%	-	-	-

Schedule –III
(See Rule 8)
Age And Qualification Of Persons To Be Filled By Direct Recruitment

S. No.	Name Of Service Post	Minimum age limit	Maximum age limit	Educational Qualification	Remark
1	2	3	4	5	6
1.	Stenographer	18 Years	35 Years	At least passed 12th examinations in 10+2 scheme or passed Higher Secondary School certificate examination under old scheme and possessing a certificate of passing Stenographers examination in Hindi from the M.P. Shorthand and Typewriting examination Board or any of the recognized board or institution by the State Government and knowledge of Computer Operation	
2.	Steno Typist	18 Years	35 Years	At least passed 12th examinations in 10+2 scheme or passed Higher Secondary School certificate examination under old scheme and holding a certificate of Hindi type writing from the recognized Board and also working capability of Shorthand in Hindi at least 60 Words per minute and knowledge of Computer Operation	
3.	Librarian	18 Years	35 Years	At least a Bachelor's degree in Library Science from a recognized University and knowledge of Computer Operation	
4.	Assistant . Gr. III	18 Years	35 Years	At least passed 12th examinations in 10+2 scheme or passed Higher Secondary School certificate examination under old scheme and a certificate of passing type-writing examination in Hindi from the M.P. shorthand and Type-writing examination Board or its equivalent recognised board or institution or any other standard they may be decided by the State Government and knowledge of Computer Operation	
5.	Artist	18 Years	35 Years	At least passed 12th examinations in 10+2 scheme or passed Higher Secondary School certificate examination under old scheme with a certificate of Inter mediate of drawing or equivalent certificate from any recognised institution with atleast 3 years experience in graphical, cartographical presentation of Statistical Data.	
6.	Photographers	18 Years	35 Years	At least passed 12th examinations in 10+2 scheme or passed Higher Secondary School certificate examination under old scheme from any recognised Board with 3 years practical experience of studio and field work and of handling various types of cameras with sufficient knowledge of printing, developing, enlarging, etc.	
7.	Verifier/ Key Punch Operator	18 Years	35 Years	At least passed 12th examinations in 10+2 scheme or passed Higher Secondary School certificate examination under old scheme Examination and knowledge of working on Punch/Verifying machine.	
8.	Driver	18 Year	35 Year	At Least Passed Middle School Examination And Driving License From Competent Authority	

Schedule –IV
(See Rule 14)

S.No.	Name of service of the post from which promotion is to be made	Name of service of post to which promotion is to be made	Minimum period for promotion	Name of members of the departmental promotion committee see rule 2(b)	Remarks
1	2	3	4	5	6
1	Non-gazetted Class-III Ministerial 1. Assistant Grade-I	Superintendent	5 years	1. Joint Director of Economics and Statistics M.P. - Chairman	
				2. Deputy Director (Administration) Economics and Statistics M.P. Member	
				3. Deputy Director Economics and Statistics M.P.- Member	
				4. One nominated officer of equal rank belonging to Scheduled Caste/ Scheduled Tribe/ Other Backward Class	
				5. One nominated officer of equal rank belonging to minority class.	
2	Asistant Grade II	Assistant. Grade-I	5 years	-do-	
3	Asistant Grade III	I.Assistant. Grade-II II. Junior Auditor	5 years	-do-	The post of junior auditor will be filled by Assistant Grade III as per seniority who have passed the Account examination
4	Artist	Senior Artist	5 years	-do-	
5	Stenotypist	Stenographer	5 years	-do-	
6	Stenographer	Personal Assistant	5 years	-do-	
7	Personal Asstt	Senior Personal Asstt	5 years	-do-	
	From fourth Class Service				
8	Peon	Asstt. Grade – III	5 years	-do-	

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
G. P. KABIRPANTHI, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.